परियोजना का नामः– जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0–2 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रतिवेदन

जनपद–..... जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0–2 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः–

प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3087/3–48, देहरादून दिनांक 26.04.2016 के द्वारा राजाजी टज्ञइगर रिजर्व के अंतर्गत चीला–मोतीचूर कॉरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–03 में टिहरी बांध के 31 मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के 32 क्रेताओं सहित कुल 63 परिवारों को पूर्व में देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 की 26.00 है0 वन भूमि भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त विस्थापित करने हेतु आवंटित की गयी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपारेशन (टी0एच0डी0सी0) द्वारा खाण्डगांव–03 में मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को संलग्न सूची के अनुसार लालपानी कक्ष संख्या–02 में ही विस्थापित किये जाने का प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार वर्ष 2009 में टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों की सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग, देहरादन के लालपानी कक्ष संख्या–02 में उपलब्ध 2.4 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि निम्न शर्तों के तहत आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. खाण्डगांव–03 के पूर्व में विस्थापित परिवारों/किसानों व वन विभाग के मध्य हुये सशर्त अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अनुसार ही प्रश्गत प्रकरण में विस्थापन हेतु प्रस्तावित मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारां के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
2. लालपानी कक्ष संख्या–02 में विस्थापितों को उपलब्ध करायी जा रही भूमि की वैधानिक स्थिति तब तक आरक्षित वन की ही रहेगी जब तक खाण्डगांव–03 में उक्त 10 अतिरिक्त परिवारों की निजी भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद न हो जाये।
3. लालपानी कक्ष संख्या–02 की वलन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. अतएव निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के स्तर से लालपानी कक्ष संख्या–02 में प्रस्तावित 2.4 है0 वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव गठित कर नियमानुसार आनलाईन अपलोड आदि की कार्यवाही की जायेगी।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

क्र0 स0	मूल खातेदार का नाम	टी0ए च0डी 0 सी0 की क्रम सं0	टी0एच0डी0 सी0 द्वारा आवंटित प्लाट सं0/ भूखण्ड संख्या	भूमि का क्षेत्र एकड़/ है0 में	खसरा सं0	क्षेत्र है0 में	क्रय की गयी भूमि खातेदार का नाम	मूल/ क्रेता	क्षेत्र हे0 में	अभ्युक्ति
1	श्री गजे सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह	13	65	2.00	806 807 844 889 योग	0.180 0.150 0.160 0.319 **0.8090**	श्रीमती विजया कोठारी पत्नी रमेश चन्द्र व श्रीमती लक्ष्मी देवी, पत्नी श्री सुन्दर सिंह	क्रेता	0. 80 90	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या–2 में भूमि उपलब्ध/आंवटित नहीं है।
2	श्री धन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह	25	77(A)	0.101 0	889 योग	0.1010 0.1010	श्री शूरवीर सिंह पुत्र श्री जबर सिंह श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री बीर सिंह पंवार नन्दात्त पुत्र श्री विद्यादत्त श्री अनिल रावत, पुत्र श्री कुंवर सिंह	क्रेता	0. 10 10	कॉरीडोर के भीतर इनको भूमि है। लालपानी कक्ष सं0–2 में भूमि उपलब्ध/आवंटित नहीं है।
3	श्री धन सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह		j-3(195)/01	0.200	848	0.200	श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री माडू सिंह	क्रेता योग	0. 02 00	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष संख्या 02 में भूमि आवंटित नहीं है।
4	श्री अनिल सिंह, श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री मस्तू सिंह				815	0.0500	श्री अनिल सिंह श्री अरविन्द पुत्र श्री मस्तु सिंह	मूल आवंटी योग	0. 05 00	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष सं0–2 भूमि उपलब्ध/आवंटित नहीं है।
5	श्रीमती कमला देवी पत्नी गम्भीर सिंह, श्री सूरज सिंह पुत्र गम्भीर सिंह, प्रदीप सिंह, सुमित				814	0.0200	श्रीमती कमला देवी पत्नी गम्भीर सिंह श्री सूरज सिंह पत्र गम्भीर सिंह, प्रदीप सिह, सुमिति पुत्र देवी सिंह व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 देवी सिंह	मूल आवंटी योग	0. 02 00	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है। लालपानी कक्ष सं0–2 में भूमि उपलब्ध/आवंटित नहीं है।

	पुत्र देवी सिंह व श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व0 देवी सिंह									
6	श्री ध्यान सिंह पुत्र बचन सिंह	2	54	1.99	795 796 797 798 799 816 योग	0.8050	श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह	मूल आवंटी योग	0. 80 50	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, पूर्व में विस्थापन हेतु सहमति नहीं दिये जाने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी
7	श्रीमति अहिल्या देवी पत्नी श्री आनन्द स्वरूप		J-3(203)/04		योग	0.0200	श्रीमती अहिल्या देवी पत्नि श्री आनन्द स्वरूप	मूल आवंटी योग	0. 02 00	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, लालपानी क0 सं0–2 में कृषि भूमि दी गयी है आवासीय भूमि दी जानी शेष है।
8	श्री धूम सिह पुत्र नरम सिंह		J-3(195)/02		योग	0.0200	श्री बलबीर सिंह, सोबन सिंह पुत्र श्री धूम सिंह	वारिस पुत्र योग	0. 02 00	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, लालपानी वक्ष संख्या–2 में कृषि भूमि दी गयी है। आवासीय भूमि दी जानी शेष है।
9	श्री जय प्रकाश पुत्र सुदर्शन		J-(195)/07		योग	0.0200	श्री जय प्रकाश बहुगुणा	मूल आवंटी योग	0. 02 00	कॉरीडोर के भीतर इनकी भूमि है, लालपानी वक्ष संख्या–2 में कृषि भूमि दी गयी है। आवासीय भूमि दी जानी शेष है।
10	श्र सूरत सिंह पुत्र शेर सिंह		J-(203)/07		योग	0.0200	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह	वारिस पुत्र		श्री सूरत सिंह पुत्र श्री शेर सिंह को प्लाट संख्या–J-3(203)/07 जो कि टी0एच0डी0सी0 द्वारा पत्रांक 882/2009 से

								योग	0.0200	आवंटित किया है किन्तु राजस्व अभिलेखों में कॉरीडोर के अन्तर्गत आने वाले खसरा नम्बरों में अंकित नहीं है इनके नाम राजस्व अभिलेखों में आवासीय प्लट खसरा संख्या 636 क्षेत्र 0.0200 है दर्ज है। रजिस्टार कानूनगों द्वारा अपने पंत्राक 78 दिनांक 10.07.2015 को जारी खाता खतौनी सं0 00048 में खसरा नं0 636 रकवा 0.0200 है0 से गोविन्द सिंह पुत्र श्री स्व0 सूरत सिंह का नाम निरस्त करते हुये टी0एच0डी0सी0 द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या–J-3(203)/07 खसरा नं0 889 रकवा 0.0200 है0 पर गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 सूरत सिंह निवासी ग्राम खाण्डगांव रायवाला का नाम दर्ज किया गया है जो कॉरीडोर क्षेत्र के अंतर्गत है।
					महा योग	1.8850		महायोग	1.8850	

राजाजी राष्ट्रीय पार्क जंगली हाथियों के दृष्टिकोण से पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, गंगा नदी राजाजी राष्ट्रीय पार्क को दो भागों में बांटती है। राजाजी एवम् मोतीचूर वन्य जीव विहार गंगा सीमा लैन्सडौन तथा बिजनौर वन प्रभागों से होते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व से मिलती है। गंगा नदी के पूर्वी सीमा पर स्थित है। चीला वन क्षेत्र की सीमा लैन्सडौन तथा बिजनौर वन प्रभागों से होते हुये कार्बेट टाइगर रिजर्व से मिलती है। गंगा नदी के पश्चिमी भाग में राजाजी राष्ट्रीय पार्क का पूर्वी क्षेत्र देहरादून वन प्रभाग तथा कालसी वन प्रभाग से होते हुये यमुना नदी को जोड़ता है। गंगा नदी के दोनों किनारो के वनक्षेत्रों को जोड़ने वाले वन्य जीव कोरिडोर को चीला–मोतीचूर कोरिडोर के नाम से जाना जाता है। यह कोरिडोर वन्य जीवों विशेषकर जंगली हाथियों द्वारा नियमित रूप से अपनाया जाता रहा है।

वर्ष 1976 में चीला–मोतीचूर कोरिडोर के जोहड़ा ब्लॉक में टिहरी विस्थापितों को बसाने हेतु 48.56 है0 वन भूमि को हस्तान्तरित किया गया है। टिहरी विस्थापितों को खाण्डगांव क्षेत्र में बसाया गया है। इस प्रकार चीला–मोतीचूर कोरिडोर के बाधित होने के कारण विशेष कर जंगली हाथियों के स्वच्छन्द विचरण में रूकावट आयी है। इससे मानव–वन्य जीव प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ़ रही है। इसके ज्वलन्त परिणाम गत् वर्षो में सामने आये है, अन्ततः वन्य जीवों को ही जानमाल की कीमत चुकानी पड़ी है। अतः वन्यजीव संरक्षण को मध्यनजर रखते हुये चीला–मोतीचूर कोरिडोर को पुनर्स्थापित किया जाना आवश्यक है।

चीला–मोतीचूर कोरिडोर को पुनर्वासित करनाः–

चीला–मोतीचूर कोरिडोर को पुनर्स्थापित करने हेतु निम्न कार्य किये जाने आवश्यक हैः–

1. टिहरी डैम विस्थापितों के खाण्डगांव–3 जो कोरिडोर के मध्य में स्थित है को कोरिडोर क्षेत्र से बाहर पुनर्वासित करना।
2. कोरिडोर क्षेत्र में आने वाली रेलवे लाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु फ्लाई ओवर बनाकर उचित प्रबन्ध करना।
3. मोतीचूर नदी के दोनों किनारों का संरक्षण एवम् सुधार करना।

पुनर्वास हेतु वनभूमिः–

चीला–मोतीचूर कोरिडोर में बसे खाण्डगांव–3 के परिवारों के विस्थापन के लिए उत्तरांचल शासन ने अपने पत्र संख्या–जी0आई 0–763/7–1–2004–800 (431)/2002 दिनांक 13 जुलाई 2004 के अनुसार देहरादून वन प्रभाग की ऋषिकेश रेंज के लालपानी क0न0–2 में 26.00 है0 वन भूमि इस प्रयोजन हेतु हस्तान्तरित कर उपलब्ध करायी है। उत्तराखण्ड़ शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 पत्र सं0–ब–166/X–2–2010–12(26) /2002टी0सी0 दिनांक 24 जुलाई 2010 के अनुसार प्रत्येक परिवार को लाल पानी कक्ष सं0–2 में उतनी ही भूमि आवंटित की जाय जितनी भूमि टी0एच0डी0सी द्वारा उन्हें विस्थापन के समय खाण्डगांव–3 में आवंटित की गई थी एवं उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 के पत्र सं0–3680/X–2 2009–12 (26/2002 टी0सी0/26.12.2009 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कृषक से पृथक–पृथक MoU नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाय। वर्ष 2002 के बाद टी0 एच0डी0 सी0 द्वारा खाण्ड़ गांव –3 में कोरिड़ोर क्षेत्र में ही 9 (नौ) नये परिवारों को भूमि आवंटित कर दी गई है। पूर्व के 32 परिवारों के साथ साथ इन नये परिवारों को भी पुनर्वासित किया जाना नितांत आवश्यक होगा।इस प्रकार कोरिड़ोर क्षेत्र से कुल 32+9=41 परिवारों को कोरिडोर क्षेत्र से विस्थापित किया जाना है। 32 परिवारों के पुनर्वास हेतु 26 है0 वन भूमि प्राप्त हो चुकी है तथा 9 नये परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2628/12–1 (12) दिनांक 20.03.2010 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून को लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा अपने पत्रांक आर0एन0 2107/12–1 दिनांक 14.05.2010 द्वारा भूमि उपलब्ध कराने हेतु अपनी सैद्धान्तिक सहमति उपलब्ध करा दी गई है। पुनर्वास हेतु चयनित भूमि लाल पानी कक्ष सं0 2 में पूर्व में आवंटित भूमि 26.00 है0 से लगी हुई है। प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग के पंत्राक 2809/12–1 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र 2.4 है0 का मानचित्र तथा पेड़ों की गणना इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जो प्रस्ताव के संलग्न किया जा रहा है।

निदेशक/ वन संरक्षक
राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून
उत्तराखण्ड

वन्य जीव प्रतिपालक
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून ।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

निदेशक
राजाजी टाइगर रिजर्व
देहरादून, उत्तराखण्ड

प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून